

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 41/2017

प्रार्थी:-	बनाम	अप्रार्थीगण :-
1 टिकमाराम पुत्र वक्ताराम जाति मेघवाल निवासी माण्डल, तहसील रानी	मृतक नगाराम पुत्र हंसाजी के का०मु०	1 प्रतापराम 2 बाबुलाल 3 मोहनलाल 4 हकाराम 5 मोनाराम 6 लालाराम पि० नगाराम जातिगण मेघवाल निवासीगण माण्डल 7 सरपंच ग्राम पंचायत माण्डल, पंचायत समिति रानी

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :-

1. श्री नवीन दवे, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. अप्रार्थी एवं उनके द्वारा नियुक्त अधिवक्ता अनुपस्थित



—: निर्णय :-

दिनांक 29.12.2017

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के ग्राम पंचायत माण्डल द्वारा मिसल संख्या 04/1969-1970 में पारित प्रस्ताव संख्या 6 दिनांक 23.08.1969 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 40 दिनांक 02.01.1970 के विरुद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी एवं उनके द्वारा नियुक्त अधिवक्ता नियत तारीख पेशी पर बहस हेतु

श्री. जिला कलेक्टर, पाली

के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने मकान के आगे की चौतरियों का पट्टा जारी कराने का निवेदन किया तथा प्रार्थना पत्र में वांछित भूमि के जो पडौस अंकित किये हैं, उसके अनुसार उत्तर में आम रास्ता, दक्षिण में आम रास्ता, पूर्व में समस्त भांबियों का थाला तथा पश्चिम में चुना वेला होना अंकित किया। इस पर सरपंच ग्राम पंचायत माण्डल द्वारा मिसल कायम करने के आदेश पारित किया। इस पर दिनांक 28.06.1969 को मिसल दर्ज रजिस्टर कर तीन वार्ड पंचों को मौका निरीक्षण करने एवं भूमि का नक्शा पेश होने पर कार्यवाही जारी करने के आदेश पारित किये। इसके पश्चात दिनांक 12.07.1969 को भूमि का नक्शा एवं पंच सदस्यों की मौका रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर एक माह का आपत्ति नोटिस जारी करने के आदेश पारित किये। उक्त आदेश की पालना में आपत्ति पत्र जारी किया गया। इसके पश्चात दिनांक 23.08.1969 को निर्धारित समयावधि में किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर अनुमोदन हेतु रिपोर्ट उप जिलाधीश पाली को भिजवाने के आदेश पारित किये। इसके पश्चात दिनांक 28.11.1969 तक किसी प्रकार का प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होने के कारण कार्यवाही की पुष्टि मानते हुए पट्टा जारी करने के आदेश पारित किये। इसके पश्चात दिनांक 02.01.1970 को राशि जमा होने के कारण जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया।

राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम 1961 के नियम 255 से नियम 261 में आबादी भूमि की बिक्री के प्रावधान वर्णित हैं। जिसके तहत नियम 256 (1) के तहत इच्छुक व्यक्ति द्वारा क्रय हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा एवं (2) के तहत आवेदन पत्र के साथ खरीदी जाने वाली भूमि का नक्शा तैयार करने हेतु दो रूपये की राशि पंचायत में जमा करायेगा। नियम 256 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियम 257 के तहत नक्शा तैयार किया जाना। इसके पश्चात नियम 258 के तहत पंचायत संकल्प द्वारा अपने पंचों में से किन्ही तीन पंचों को वांछित स्थल के निरीक्षण हेतु मनोनीत करती है, जो पंच अपनी रिपोर्ट ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। पंचों की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर नियम 259 के तहत पंचायत बैठक में प्रस्तावित भूमि के विक्रय के सम्बन्ध में पंचायत अस्थाई रूप से निर्णय पारित करेगी। इसके पश्चात नियम 260 के तहत प्रपत्र 50 में एक माह का आपत्ति आमन्त्रित करेगी। इसके पश्चात नियम 261 के तहत आपत्तियों का निस्तारण किये जाने तथा नियम 262 के तहत भूमि के नीलामी के प्रावधान हैं। इसके पश्चात नियम 263 के तहत भुगतान तथा भुगतान न करने पर पुनर्विक्रय के प्रावधान वर्णित हैं। नियम 264 में नीलामी की प्रक्रिया तथा नियम 265 में नीलाम की पुष्टि प्रावधित है। नियम 266 के तहत निजी बातचीत द्वारा आबादी भूमि का हस्तान्तरण के प्रावधान हैं। नियम 267 में भूमियों का निःशुल्क आवंटन तथा नियम 267 (क) के तहत विस्थापितों एवं भूतपूर्व सैनिकों को भूमि के आवंटन के नियम प्रावधित हैं।



राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत इस न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह स्व-प्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर, किन्ही भी कार्यवाहियों के सम्बन्ध में, किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उप समिति का अभिलेख, उनमें पारित किसी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य के बारे में या ऐसी कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिये मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेगी और यदि किसी भी मामले में,

01
 अधिक. विभा. कार्यालय, राजी

राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश को उपांतरित या बातिल किया, उलट दिया या पुनर्विचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिए, तो वह तदनुसार आदेश पारित कर सकेगी। हस्तगत प्रकरण में राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम 1961 के नियम 255 से नियम 261 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक अनियमितता नहीं पाई जाती है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा ग्राम पंचायत माण्डल द्वारा मिसल संख्या 04/1969-1970 में पारित प्रस्ताव संख्या 6 दिनांक 23.08.1969 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 40 दिनांक 02.01.1970 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकॉर्ड लौटाया जावे।



(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 29.12.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली